

**राजस्थान विधान सभा**

**पंचम सत्र**

**कार्य-सूची**

**बुधवार, दिनांक 01 सितम्बर, 2010**

**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

**2. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन**

I- श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010--2011 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेगी :-

1. राज्य में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट, दहेज उत्पीड़न, दहेज के लिये प्रताड़ना, हत्या के लिये धमकी देना व झूठे आरोपों पर कार्यवाही संबंधी महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का दसवां प्रतिवेदन ;
2. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, वर्ष 2005-2006 के द्वारा महिला सैन्ट्रल जेल के आकस्मिक निरीक्षण संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का ग्यारहवां प्रतिवेदन ;
3. महिलाओं के साथ दहेज हत्या, अपहरण, बलात्कार तथा जान से मारने की धमकी एवं अन्य उत्पीड़न संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का बारहवां प्रतिवेदन ;
4. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय शिशुगृह, बालिका गृह एवं राजकीय कन्या छात्रावास गांधीनगर के दिनांक 18.5.2004 को किये गये आकस्मिक निरीक्षण से संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का तेरहवां प्रतिवेदन ;
5. जनाना अस्पताल, चांदपोल, जयपुर के दिनांक 13.10.1999 एवं 26.8.2004 को किये गये आकस्मिक निरीक्षण संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का चौदहवां प्रतिवेदन ;
6. उत्पीड़ित महिलाओं एवं संस्थाओं की ओर से प्राप्त शिकायतों तथा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रकरणों का निराकरण करवाने संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का पन्द्रहवां प्रतिवेदन ;
7. महिला बन्दीगृह, केन्द्रीय कारागार, जयपुर का आकस्मिक निरीक्षण (दिनांक 13 नवम्बर, 2009) संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का सोलहवां प्रतिवेदन ;

8. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, वर्ष 2005-2006 के चतुर्थ प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का परिपालनात्मक सत्रहवां प्रतिवेदन ; एवं

9. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, वर्ष 2005-2006 के सप्तम प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का परिपालनात्मक अठारहवां प्रतिवेदन।

II- श्री प्रकाश चौधरी, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2010--2011, कार्मिक, मुख्यमंत्री सचिवालय, प्रारम्भिक शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ऊर्जा, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, गृह, कला एवं संस्कृति, देवस्थान, परिवहन, सिंचित क्षेत्रीय विकास, वित्त, नगरीय विकास एवं आवासन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, नागरिक उड्डयन, राजस्व, उच्च शिक्षा, कृषि विपणन, खनिज, वन, सहकारिता, विधि एवं न्याय, सहायता, सामान्य प्रशासन, सिंचाई, आयुर्वेद, पंचायती राज, पर्यटन, पर्यावरण तकनीकी शिक्षा, जनजाति क्षेत्रीय विकास, जल संसाधन एवं आयोजना विभाग से संबंधित समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

III- श्री अलाउद्दीन आजाद, सभापति, प्राक्कलन समिति "ख", 2010-2011 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

- 1- गृह (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 के छठे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति "ख", 2010-2011 का बारहवां प्रतिवेदन ; एवं
- 2- गृह (कारागार) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 के ग्यारहवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति "ख", 2010-2011 का तेरहवां प्रतिवेदन ।

### 3. याचिकाओं का उपस्थापन

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी :-

- I- सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के प्रताप नगर के सार्वजनिक पार्कों की मरम्मत बाबत् ; एवं
- II- सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय खोलने एवं विद्यालय क्रमोन्नयन बाबत् ।

#### 4. विधायी कार्य

##### विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

##### (1) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010

- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर  
(संशोधन) विधेयक, 2010  
(2010 का विधेयक संख्या-22)
- "राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

**(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जाएंगे)**

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

##### (2) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010

- (I) श्री हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
- राजस्थान कृषि जोतों पर  
अधिकतम-सीमा अधिरोपण  
(संशोधन) विधेयक, 2010  
(2010 का विधेयक संख्या-15)
- "राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम -सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

**(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जाएंगे)**

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**(3) राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2010**

- (I) श्री हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
- राजस्थान अभिधृति (संशोधन)  
विधेयक, 2010  
(2010 का विधेयक संख्या-23)
- "राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

**(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जाएंगे)**

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**एच.आर. कुड़ी  
सचिव**

**विधान सभा भवन,  
जयपुर  
दिनांक 31 अगस्त, 2010**